



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 682 राँची, बुधवार,

23 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-637/2014 का०-5887--श्री शिवनारायण यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-765/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध पंचायत समिति सदस्य, रानीडीह पंचायत चमेली मुर्मू से छेड़छाड़ के आरोप में करौं थाना कांड सं०-04/2012, दिनांक 15.01.2012 दर्ज की गई ।

उक्त कांड में विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-109, दिनांक 10.11.12 द्वारा श्री यादव के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई तथा संबंधित मामले में इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र सं०-78/12, दिनांक 31.12.2012 समर्पित किया गया ।

श्री यादव के पत्रांक-04, दिनांक 29.04.2024 द्वारा करौं थाना कांड सं०- 04/2012, दिनांक 15.01.2012, जी०आर० वाद सं०-21/2012 में माननीय अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, मधुपुर द्वारा दिनांक 10.04.2024 को पारित न्यायदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कांड में इनको दोष मुक्त कर दिया गया है। माननीय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मधुपुर द्वारा दिनांक 10.04.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है -

"After analyzed the evidence available on record it become evident that informant has failed to attribute the specific act of assault or use of criminal force with intent to outrage her modesty by the accused. So section 354 I.P.C. is not attracted.

On the basis of the above discussion, I find that prosecution has failed to established its case and thus failed to substantiate the charge u/s 354 of I.P.C. against the accused persons. Hence accused persons namely Shiv Narayan Yadav found and held not guilty for the offence u/s 354 of I.P.C.

Accordingly accused persons namely Shiv Narayan Yadav is hereby Acquitted from the charges u/s 354 of I.P.C. Accused is on bail. Hence they and their bailors are also discharge from liability of their respective bail bonds."

अतः मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को पारित न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत श्री शिवनारायण यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-765/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर, सम्प्रति-सेवानिवृत्त से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शिवनारायण यादव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
